भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3564

(जिसका उत्तर मंगलवार, 12 अगस्त, 2014 को दिया गया)

<u>बड़ी कारपोरेट कंपनियों के बकाया ऋण</u>

3564. श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बड़ी कारपोरेट कंपनियों में वर्षों से लंबित बकाया ऋण, जिसे वर्षों से चुकाया नहीं गया है, को वसूल नहीं कर पायी है;

(ख) यदि नहीं, तो उन कंपनियों के नाम क्या है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं और उन कंपनियों पर बकाया ऋण की कितनी धनराशि देय थी;

(ग) क्या सरकार इन कंपनियों को नए ऋण देती है;

(घ) क्या मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कंपनियों की पहचान की है और ऋण को न चुका पाने के कारणों को जानने का प्रयास किया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग) : बड़ी कारपोरेट कंपनियों के पास बकाया ऋण जिसे वर्षों से चुकाया नहीं गया है के बारे में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ड. और बैंकिग कानून के तहत बैंक या वित्तीय संस्थानों का दायित्व है कि वे अपने घटकों के कार्यकलापों को गोपनीय रखें।

वित्तीय क्षेत्र की दशा सुधारने, एनपीए को कम करने, बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता सुधारने और रिसाव को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी किए हैं जिसमें शर्त है कि प्रत्येक बैंक की बोर्ड द्वारा स्वीकृत लोन वसूली नीति हो। नए या वर्तमान कर्जदारों को नए ऋण/तदर्थ ऋण की स्वीकृति ऋण, नवीनीकरण की सूचना साझा करने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया गया है ताकि विपत्ति के संकेत जिसमें सभी व्यवहार्य खातों के मामलों में त्वरित पुनर्संगठन भी शामिल है का पहले से पता लगाया जा सके, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002, ऋण वसूली प्राधिकरणों (डीआरटी) और लोक अदालत जैसे कानूनी तंत्र का सहारा लिया जा सके।

*****